राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 132/2023

फरीद हुसैन खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापन स्थान पर भी यथावत कार्यरत रहते हुए कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.11.2022 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयनोपरान्त पदस्थापन कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी ने पदोन्नति पर दिनांक 10.11.2022 को कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था एवं एक माह से कम अवधि में आलोच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है (अनुलग्नक–4)। ऐसे पुरस्कृत अध्यापकों का स्थानान्तरण करते समय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 विकल्प कार्मिकों से लेने चाहिए, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से एक भी विकल्प नहीं लिया गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 07.02.2011 एवं 24.09.2019

का उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 6330/2022 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए थे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 06.09.2019 से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित है। पूर्व में यह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित था एवं पदोन्नति आदेश दिनांक 10.11.2022 द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से तत्समय पदस्थापन स्थल पर ही कार्यग्रहण कराया गया अपीलार्थी ने पदोन्नत पद पर दिनांक 10.11.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा पदोन्नति पश्चात् नियमित पदस्थापन आदेश जारी किए गए है एवं मुख्यालय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 07.02.2011 एवं 24.09.2019 का उद्धरण दिया है जो राज्य सरकार राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के स्थानान्तरण पदस्थापन में प्राथमिकता के संबंध में है जो अपीलार्थी पर लागू नहीं होते। उक्त विवेचन के आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है इसमें किसी प्रकार की विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है इसलिए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील एवं मय स्थगन प्रार्थना–पत्र बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखायाा जाकर मुंद्राकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)